# लोक शिक्षण संचालनालय
# छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड–3, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर
फोन नम्बर–0771.2331385,Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com


क्रमांक / सत. / ए / बिलासपुर / 101 / 2025 / **828** नवा रायपुर, **दिनांक 05 / 08 / 2025**

**/ /आदेश/ /**

जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बिलासपुर के पत्र क्र. / 8933 / शिका.जांच / 2025, दिनांक 28.07.2025 के अनुसार शासकीय हाई स्कूल, बेलतरा, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर के विद्यालय भवन में लगे लगभग रू. 65 लाख मूल्य की सामग्री चोरी हो जाने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच में पाया गया कि विद्यालय भवन में लगे खिड़की दरवाजे, लोहे की ग्रिल एवं फर्श के पत्थरों के चोरी हो जाने पर विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती कावेरी यादव (मूल पद व्याख्याता एल.बी.) द्वारा तत्काल उक्त घटना की सूचना उच्च अधिकारियों दी जानी चाहिए थी एवं उपरोक्त सामग्री चोरी हो जाने की शिकायत संबंधित पुलिस थाने में भी किया जाना था, जो कि प्रभारी प्राचार्य द्वारा नहीं किया गया । इस प्रकार श्रीमती यादव को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा विद्यालय की सामग्री की चोरी से शासन को हुई वित्तीय हानि के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

2/ श्रीमती यादव का उक्त छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 के विपरीत गंभीर कदाचार है ।

3/ अतः श्रीमती कावेरी यादव, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.बी.), शासकीय हाई स्कूल, बेलतरा, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर को छत्तीसगढ़ .सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा, जिला बिलासपुर निर्धारित किया जाता है।

4/ निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार निर्धारित दर पर जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(ऋतुराज रघुवंशी)
संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क्र. / सत. / ए / बिलासपुर / 101 / 2025 / 829 नवा रायपुर, दिनांक **05 / 08 / 2025**
प्रतिलिपिः–

1/ सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
2/ कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) ।
3/ संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर
4/ जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बिलासपुर, निलंबन आदेश संबंधित को तामील करावें एवं आरोप पत्र का प्रारूप (हार्ड एवं साफ्ट कॉपी) 07 दिवस के भीतर अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

**क्रमशः ...**

5/ सहायक संचालक, स्थापना 02, ई/टी संवर्ग (स्थानीय) ।
6/ विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.खं.–बिल्हा, जिला बिलासपुर(छ.ग.) ।
7/ प्राचार्य, शासकीय हाई स्कूल, बेलतरा, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर ।
8/ संबंधित श्रीमती कावेरी यादव, प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल.बी.), शासकीय हाई स्कूल, बेलतरा, वि.खं. बिल्हा, जिला बिलासपुर ।
**की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।**
9/ गार्ड फाईल ।

**संचालक**
**लोक शिक्षण छत्तीसगढ़**